उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या:72/2023/1419506(2)/12-2099/139/2021
लखनऊ: दिनॉक:12 सितम्बर, 2023

शुद्धि-पत्र

प्रदेश में समस्त उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरकों का स्टाक एवं बफर गोदाम/बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक स्टाक का शत-प्रतिशत सत्यापन कराये जाने विषयक समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित निर्गत शासनादेश संख्या:71/2023/419506/12-2099/139/2021, दिनांक 11 सितम्बर, 2023 के प्रस्तर संख्या-2 के बिन्दु संख्या-(vi) में टंकण त्रुटि के कारण आई.एफ. एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार के आधार पर भौतिक सत्यापन दिनांक 15 मार्च, 2023 से दिनांक 25 मार्च, 2023 की अवधि में कराते हुए बफर गोदाम/थोक उर्वरक विक्रेताओं से संबंधित सूचना प्रारूप-ए (भाग-1 एवं भाग-2) तथा फुटकर उर्वरक विक्रेताओं की सत्यापन से संबंधित सूचना निर्धारित प्रारूप-बी (भाग-1 एवं भाग-2) पर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश (उर्वरक अनुभाग) को दिनांक 27 मार्च, 2023 तक अवश्य उपलब्ध करायी जाए, अंकित हो गया है जबकि वास्तव में आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार के आधार पर भौतिक सत्यापन दिनांक 15 सितम्बर, 2023 से दिनांक 25 सितम्बर, 2023 की अवधि में कराते हुए बफर गोदाम/थोक उर्वरक विक्रेताओं से संबंधित सूचना प्रारूप-ए (भाग-1 एवं भाग-2) तथा फुटकर उर्वरक विक्रेताओं की सत्यापन से संबंधित सूचना निर्धारित प्रारूप-बी (भाग-1 एवं भाग-2) पर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश (उर्वरक अनुभाग) को दिनांक 27 सितम्बर, 2023 तक अवश्य उपलब्ध करायी जाए, है।

उक्त शासनादेश दिनांक 11 सितम्बर, 2023 को उक्त सीमा तक तक संशोधित समझा जाए तथा शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या:72/2023/1419506(3)/12-2099/139/2021 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

7. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, कृषि भवन, लखनऊ।
8. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रारूप-ए
भाग-1

बफर गोदाम/थोक उर्वरक गोदामों में आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार एवं बफर गोदाम पर उपलब्ध भौतिक सम्भार की सत्यापन रिपोर्ट

सत्यापनकर्ता का नाम:
पदनाम:
जनपद का नाम:
विभाग का नाम:

क्र0 सं0	सत्यापन की तिथि	बफर गोदाम/थोक उर्वरक बिक्री केद्र का नाम एवं पता	उर्वरक विक्रेता की एम.एफ.एम.एस.आई.डी. संख्या	आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार (मात्रा मी.टन में)					बफर/थोक उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर भौतिक रूप में उपलब्ध सम्भार (मात्रा मी.टन में)				
				यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रारूप-बी
भाग-1

फुटकर उर्वरक विक्रेताओं की आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार एवं बफर गोदाम पर उपलब्ध भौतिक सम्भार की सत्यापन रिपोर्ट

सत्यापनकर्ता का नाम:
पदनाम:
जनपद का नाम:
विभाग का नाम:

क्र0 सं0	सत्यापन की तिथि	फुटकर उर्वरक बिक्री केद्र का नाम एवं पता	उर्वरक विक्रेता की एम.एफ.एम.एस.आई.डी. संख्या	आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार (मात्रा मी.टन में)					बफर/थोक उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर भौतिक रूप में उपलब्ध सम्भार (मात्रा मी.टन में)				
				यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रारूप-ए
भाग-2

बफर गोदाम/थोक उर्वरक बिक्री केन्द्रों की आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार एवं बफर थोक केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक सम्भार की सत्यापन रिपोर्ट की संकलित सूचना का प्रारूप

सत्यापनकर्ता का नाम:
पदनाम:
जनपद का नाम:
विभाग का नाम:

क्र0 सं0	जनपद में बफर/ थोक बिक्री केन्द्रो की संख्या	जनपद में कुल सत्यापित उर्वरक बिक्री केन्द्रों की संख्या	जनपद में आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार (मात्रा मी.टन में)					जनपद में उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर भौतिक रूप में उपलब्ध सम्भार (मात्रा मी.टन में)					अन्तर की	
			यूरिया	डीए पी	एनपी के	एमओ पी	एसएस पी	यूरिया	डीए पी	एनपी के	एमओ पी	एसएस पी	यूरिया	डीए पी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रारूप-बी
भाग-2

बफर/थोक उर्वरक विक्रेताओं की आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार एवं बफर थोक केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक सम्भार की सत्यापन रिपोर्ट की संकलित सूचना का प्रारूप

सत्यापनकर्ता का नाम:
पदनाम:
जनपद का नाम:
विभाग का नाम:

क्र0 सं0	बफर/ थोक बिक्री केन्द्रो की संख्या	जनपद में कुल सत्यापित उर्वरक गोदामों की संख्या	जनपद में आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार (मात्रा मी.टन में)					जनपद में उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर भौतिक रूप में उपलब्ध सम्भार (मात्रा मी.टन में)					अन्त	
			यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	यूरिया	डीएपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।